वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, हिन्दुस्तान, परफेक्ट मिशन, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 23.05.2025

लापरवाही पर वीडीए के दो अवर अभियंताओं से मांगा स्पष्टीकरण

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने बृहस्पतिवार को जोन तीन, चार और पांच के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से कम शमन मानचित्र जमा कराने पर नाराजगी जताई। साथ ही जोन चार के अवर अभियंता सोनू कुमार व आदर्श निराला से स्पष्टीकरण मांगा। कहा कि टॉप 10 बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सचिव ने तीनों जोन के अधिकारियों से कहा कि पुराने शमन मानचित्र की फाइलों का निस्तारण कराएं। शिकायतों का निपटारा सही ढंग से कराएं। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई कराएं। अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल और सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई करें। जोन तीन के वार्ड दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली में 17, जोन चार के वार्ड भेलूपुर, नगवां में 2, जोन पांच के वार्ड रामनगर व मुगलसराय में 2 सहित कुल 21 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 23.05.2025

रविंद्रपुरी में वीडीए ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। नगवां वार्ड के रविन्द्रपुरी कॉलोनी में 442.45 वर्गमीटर भूमि पर शोएब अंसारी एवं अन्य व्यक्तियों की ओर से अवैध तरीके से बेसमेंट निर्माण कराया जा रहा था। यह भूमि वीडीए की भेलूपुर हाउसिंग एंड जनरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत भू अर्जन योजना व कब्जा प्राप्त भूमि है। यह भूमि एचएफएल सीमा में है। निर्धारित अवधि के भीतर निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण न गिराने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। बाद में निर्माण स्थल को पुनः टीन शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया था। प्रवर्तन दल ने पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 23.05.2025

वीडीए का 20 करोड़ की जमीन पर कब्जा

- शोएब व अन्य लोग हाई फ्लड लेबल क्षेत्र में कर रहे थे अवैध निर्माण, आवेदन निरस्त
- वीडीए ने सीता देवी को किया था आवंटित, तय राशि जमा नहीं करने पर किया निरस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को रविंद्रपुरी कालोनी में अपने छह हजार वर्ग फीट जमीन पर कब्जा करने के साथ वहां बनाए गए अवैध निर्माण को दो बुलडोजर के सहारे तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान वहां कई लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया लेकिन वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा और जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने उन्हें डांटकर हटा दिया। शोएब अंसारी समेत अन्य लोगों को हाई फ्लड लेबल (एचएफएल) में अवैध निर्माण करने पर वीडीए ने नोटिस जारी करने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। उक्त जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपये है। वीडीए जमीन को कब्जे में लेने के साथ पुलिस को नजर रखने को कहा है। वीडीए जल्द ही बाउंड्री कर वहां सुरक्षा कर्मी तैनात करेगा जिससे वहां दोबारा कोई कब्जा नहीं कर सके।

रविंद्रपुरी कालोनी में अपनी जमीन पर कब्जा लेते वीडीए सचिव डा.वीपी मिश्रा और जोनल अधिकारी संजीव कुमार समेत अन्य स्रोत: वीडीए

वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने बताया कि वीडीए ने रविंद्रपुरी कालोनी में प्लाट नंबर 139-ए सीता देवी के नाम से आवंटित किया था। तय राशि जमा नहीं करने पर वीडीए ने उन्हें नोटिस जारी किया था। वीडीए ने 18 अप्रैल-1991 को आवंटन निरस्त कर दिया था। आवंटी सीता देवी वीडीए के खिलाफ हाईकोर्ट गईं। वीडीए ने 13 फरवरी-1992 को कोर्ट में जवाब दिया। सीता देवी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बाद में सीता देवी ने उक्त प्लाट के नवीकरण के लिए वाराणसी न्यायालय में वाद दाखिल किया। वीडीए की ओर से लगाए गए जवाब पर न्यायालय ने वाद खारिज कर वीडीए के पक्ष में निर्णय कर दिया। इस बीच शोएब अंसारी समेत अन्य लोगों ने एक रजिस्ट्री कराते हुए वीडीए के प्लाट नंबर 139-ए पर कब्जा करने लगे। वीडीए ने नोटिस जारी करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए कई बार कब्जा करने की कोशिश की लेकिन भारी विरोध के चलते वीडीए को कब्जा नहीं मिल पा रहा था। कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से उक्त प्लाट को कब्जे में ले लिया गया है। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि उक्त प्लाट पर वीडीए ने 11 नवंबर-2022 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। उक्त प्लाट पर निर्माण के लिए अनुमति मांगी गई थी जिसे वीडीए ने नौ अप्रैल-2025 को निरस्त कर दिया, क्योंकि यह जमीन प्राधिकरण योजना के तहत एचएफएल क्षेत्र में है।

न्यायाधीश–दि0 23.05.2025

सचिव वाविप्रा की अध्यक्षता में हुई विभिन्न जोनों की समीक्षा बैठक

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 ;वाड.दशाश्वमेध चेतगंज चौक व कोतवाली जोन.4 ;भेलूपुर व नगवांद्धए जोन.5 ;रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति ;1.05.2025 से 20.05.2025 तक. कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान जोन.3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति. अवर अभियन्ता श्री राजू कुमार. जोन.4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार. अवर अभियन्ता श्री आदर्श निराला एवं जोन.5 के जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश अवर अभियन्ता श्री अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र स्वीकृत शमन मानचित्र तावान शमन शुल्क की वसूला पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल डीजल सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम शमन मानचित्र जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जोन.4 के दोनों अवर अभियंता सोनू कुमार व आदर्श निराला को कार्य के प्रति अस्तुष्ट व्यक्त करते हुये स्पष्टीकरण देने को निर्देशित किया। आलोच्य अवधि में जोन.3 द्वारा कुल 17 जोन.4 द्वारा कुल 2 व जोन.5 द्वारा कुल 2 इस प्रकार कुल 21 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन.3 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु 1.40.53.227 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 23.05.2025

ज़ोन-4 (वार्ड-नगवाँ / भेलूपुर) के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में तथा सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में ज़ोन-4 (वार्ड-नगवाँ / भेलूपुर) के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-नगवाँ / भेलूपुर, मौजा - भदैनी, परगना - देहात अमानत, तहसील - सदर, जनपद - वाराणसी स्थित रविन्द्रपुरी कॉलोनी के प्लॉट संख्या - 139ए, अराजी संख्या - मि.जु. 981, रकबा - 442.45 वर्गमीटर भूमि पर श्री शोएब अंसारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बेसमेंट निर्माण हेतु पिलर आदि का अनाधिकृत निर्माण किया गया था। उक्त भूमि वाराणसी विकास प्राधिकरण की 'Bhelupur Housing and General Development Scheme' के अन्तर्गत भू-अर्जन योजना व कब्जा प्राप्त भूमि थी, जिसके विरुद्ध पूर्व में ही दिनांक 19.11.2022 को विधिसम्मत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जा चुका था, एवं निर्माण की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन को दिनांक 09.04.2025 को प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यह भूमि प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत तथा झ्ट सीमा के अंतर्गत स्थित थी ।निर्धारित अवधि के भीतर निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अवैध निर्माण न गिराए जाने के कारण दिनांक 08.05.2025 को आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तत्पश्चात, निर्माण स्थल को पुनः टीन शेड लगाकर अतिक्रमित कर लिया गया था। जिसके क्रम में, आज दिनांक 22.05.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम, जोन-4 की उपस्थिति में पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सम्पन्न गयी ।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार , अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहे ।

हिन्दुस्तान–दि0 23.05.2025

वीडीए के दो जेई से मांगा स्पष्टीकरण

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने भेलूपुर और नगवा (जोन चार) के दो जेई से स्पष्टीकरण मांगा है। गुरुवार को वीडीए मुख्यालय में बैठक के दौरान लक्ष्य से कम शमन मानचित्र जमा करने पर सोनू कुमार और आदर्श निराला से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। साप्ताहिक समीक्षा में वीडीए सचिव ने शमन मानचित्र, शमन शुल्क की वसूली, जनशिकायतों पर कार्यवाही, अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट ली।

परफेक्ट मिशन–दि0 23.05.2025

वीडीए सचिव ने जोनवार की समीक्षा बैठक

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली, जोन-4 भेलूपुर व नगवां, जोन-5 रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति 1.05.2025 से 20.05.2025 तक कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता राजू कुमार, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।

उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, आई जी आर एस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरुद्ध कार्यवाही, सचिव ने समीक्षा बैठक के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम शमन मानचित्र जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जोन-4 के दोनों अवर अभियंता सोनू कुमार व आदर्श निराला को कार्य के प्रति अस्तुष्टी व्यक्त करते हुये स्पष्टीकरण देने को निर्देशित किये, तीनो जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया, विन्यास व भवन वार्ड के टॉप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 17, जोन-4 द्वारा कुल 2 व जोन-5 द्वारा कुल 2 इस प्रकार कुल 21 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु 1,40,53,227 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 23.05.2025

वीडीए ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में जोन-चार (वार्ड-नगवां/ भेलूपुर) के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। वार्ड-नगवां/ भेलूपुर, मौजा भदैनी स्थित रविंद्रपुरी कॉलोनी के प्लॉट संख्या 139 ए, अराजी संख्या मि.जु. 981 भूमि पर शोएब अंसारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बेसमेंट निर्माण के लिए पिलर आदि का अनधिकृत निर्माण किया गया था। उक्त भूमि वाराणसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत भेलूपुर हाउसिंग एंड जनरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत भू-अर्जन योजना व कब्जा प्राप्त भूमि थी, जिसके विरुद्ध पूर्व में ही 19 नवम्बर 2022 को विधिसम्मत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जा चुका था, एवं निर्माण की अनुमति के लिए प्रस्तुत प्रत्यावेदन को 09 अप्रैल 2025 को प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यह भूमि प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत तथा एचएफएल सीमा के अंतर्गत स्थित थी।

पूर्व में आंशिक ध्वस्तीकरण के बाद भी टीन शेड डालकर किया जा रहा था कब्जा

निर्धारित अवधि के भीतर निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अवैध निर्माण न गिराए जाने के कारण 08 मई 2025 को आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तत्पश्चात, निर्माण स्थल को पुनः टीन शेड लगाकर अतिक्रमित कर लिया गया था। जिसके क्रम में 22 मई 2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम, जोन-चार की उपस्थिति में पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर पूर्ण रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहे।